

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
निदेशक (चिकित्सा एवं पेंशन) का कार्यालय, परामर्शदाता

संख्या पीए/निदेशक (एम एवं पी) परामर्शदाता/692

दिनांक 30/12/2014

परिपत्र

**विषय: आईपीडी/ पुराने बिलों का लंबित रहना।**

चिकित्सा प्रकोष्ठ I एवं II में लंबित दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया था कि माह संबंधी न्यूनता पत्र साथ-साथ जारी करने के बाद भी मामले लंबित थे। एतद्वारा यह आदेश दिया गया है कि एओ द्वारा 15 दिनों के उपरांत तथा उप, सीएओ द्वारा 25 दिनों के उपरांत ऐसे लंबित दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिकित्सा कार्ड की प्रति संबंधी कमी पहले से ही परिचालित नीतिगत निर्णय तथा इस तथ्य को देखते हुए वैद्य कमी नहीं है कि चिकित्सा कार्ड ब्यौरा चिकित्सा प्रकोष्ठ के पास सॉफ्ट डाटा के रूप में उपलब्ध है। इसी प्रकार, अंतरिम जमा पर्चियों को संलग्न नहीं करने के रूप में प्रदर्शित कमी के संबंध में अंतिम बिल की पर्चियों पर भरोसा करना चाहिए और मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। अस्पताल के वैद्य पंजीकरण की प्रति जैसी अन्य कमियों की समीक्षा उप.सीएओ द्वारा की जाएगी तथा विगत के प्रचलन के अनुसार उचित शपत्र पत्र के उपरांत इसे जारी किया जा सकता है। इसे सीएओ की अनुमति से जारी किया गया है।



(अशोक कुमार शर्मा)

निदेशक (चिकित्सा एवं पेंशन) परामर्शदाता

**वरिष्ठ एओ (चि) I एवं II**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीएओ
2. उप सीएओ (चिकित्सा)